प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.05.2024

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फिरौती हेतु अपहरण कर हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02-05-24 को वादी देवेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम सिकरोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा बेटा योगेन्द्र शर्मा उम्र 25 वर्ष दिनांक 1-5-24 को शाम 19.00 बजे से कहीं गायब है, और उसका मो0नं0 भी लगातार बंद आ रहा है। उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम वादी की तहरीर पर गुमशुदगी पंजीकृत की गयी थी।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था, घटना में शामिल 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर, अन्य 02 सह-अभियुक्तो के साथ दिनांक 05-05-24 को मा0 न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया था, घटना में शामिल एक अभियुक्त द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, तथा शेष एक अभियुक्त को दिनांक 19-05-24 को मुखबिर की सूचना पर गुलधर मेट्रो स्टेशन के पास भट्टा नं0 5 रोड जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ईश्वरपाल द्वारा बताया गया कि मैं मेरठ में एक प्राईवेट अस्पताल SDS HOSPITAL में वार्ड बॉय का काम करता हूँ, मेरा दोस्त रोहित भी पहले वहीं मेरे साथ काम करता था, अप्रेल माह में रोहित ने मुझसे कहा कि मुझे बेहोश करने वाले इंजेक्शन की जरुरत है, अगर तु मुझे इसे लाकर दे देगा तो मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा, पैसों के लालच में आकर मैने बदनियती से यह इंजेक्शन रोहित को लाकर दिया था। रोहित व उसके भाई व रिश्तेदारों द्वारा उस इंजेक्शन का गलत प्रयोग कर योगेन्द्र शर्मा की हत्या कर दी थी, जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं घर से फरार हो गया था।

अभि0 का नाम व पता-

ईश्वरपाल पुत्र पीतम सिंह नि0 मेंथना थाना इंचोली जनपद मेरठ उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद।

दिनांक 19.05.2024 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर ई-रिक्शा चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त नदीन पुत्र राजबली निवासी गली नं0- 2 शिव मन्दिर के पास मकनपुर थाना इन्दिरापुरन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को कविता पैलेस के सामने राजीव विहार खोड़ा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्व सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता</u>

नदीन पुत्र राजबली निवासी गली न0 2 शिव मन्दिर के पास मकनपुर थाना इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द कमिश्नरेट गौतम बुध्द नगर में चोरी, एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम, आर्मस एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

चोरी का ई-रिक्शा।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना खोडा पुलिस टीम।